

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में अधिसूचना सं. 17/2011-सीमाशुल्क (एनटी), 1 मार्च, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 156(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई चीजों के, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए ब्याज की दर को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष नियत करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं० 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार